न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 01/2023

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– हीराराम साद पुत्र मोतीराम साद निवासी बिचली सादो, नवोडो की ढाणी, खवासपुरा बोरून्दा, तह. पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण		1–प्रकाश पुत्र हीराराम 2–जगदीश पुत्र हीराराम निवासीगण बिचली सादो, नवोडो की ढाणी, खवासपुरा बोरून्दा, तह. पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2010 विरूद्व आदेश दिनांक 11.08.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) पीपाड़ शहर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 हीराराम बनाम प्रकाश व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) पीपाड़ शहर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 (1) (क) व (ख), माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) पीपाड़ शहर द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा लकड़ी कार्य व कृषि कार्य करके जीवनव्यापन होने से भरण पोषण की आवश्यकता नही होने से प्रकरण खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (01/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। [illegible] के नोटिस दिनांक 01.11.2023 बाद तामील/अदम तामिल नही लौटे, प्रत्यर्थीपक्ष [illegible] उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट [illegible] व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 दिनांक 27.03.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षों की [illegible] सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 व [illegible] 2 पुत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) के समक्ष माता पिता एवं

वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत महीने के 20,000/– रूपये भरण पोषण के दिलाने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी की पत्नी अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष के साथ रहती है, जिसे अपीलार्थी के साथ रखा जावे अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने, अपीलाथी को साथ रखने एवं अपीलार्थी की पत्नी को अपीलार्थी के साथ रखने का आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट पक्ष ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी ने विवाह के दस वर्ष पश्चात ही लड़–झगड़ कर अपनी पत्नी को पुत्रों व पुत्री सहित घर से निकालकर जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। अपीलार्थी की पत्नी ने स्वयं हो मजदूरी कर अपने बच्चों एवं स्वयं का पालन पोषण किया एवं अपनी पुत्री के विवाह का खर्चा भी अपीलार्थी की पत्नी द्वारा ही वहन किया गया। अपीलार्थी द्वारा कभी भी कोई भी खर्चा अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष पर नही किया। बहस में यह भी कहा गया कि अप्रार्थीपक्ष/ प्रत्यर्थीपक्ष की पुश्तैनी कृषि भूमि के कुछ हिस्से को बिना अप्रार्थीपक्ष की सहमति के बेचान कर दिया तथा शेष पुश्तैनी कृषि भूमि पर कृषि कनेक्शन सहित टयूबवैल भी रखे है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्य व्यक्तियों से खेती करवाकर आय अर्जित की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से धारा 5 बाबत भरण पोषण की राशि दिलाने, अपीलार्थी को साथ रखने व अपीलार्थी की पत्नी को उसके साथ रखने के आदेश करने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी की पत्नी उसकी निजी सम्पति नही है तथा वह अपनी इच्छानुसार निवास करने के लिए स्वतंत्र है। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख अनुसार अपीलार्थी के नाम 3.3911 हैक्टर भूमि दर्ज है, जो सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोरून्दा में रहन दर्ज है। अपीलार्थी के पास जीवनव्यापन के साधन के रूप में भूमि कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भरण पोषण नही दिये जाने के आदेश का यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के हिस्से की भूमि में जीवनव्यापन करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण